CERTIFICATE – 3(प्रमाण पत्र–3)

उत्तरप्रदेश के मूल/सामान्य निवासी के पुत्र/पुत्री(UPGD/GDSC/GDST/GDBC)

(उसजिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसजिले के माता/पितानिवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है किश्री/श्रीमती (**अभ्यर्थी के पिता/माताका नाम**) .....
.....पिता/माता श्री/कु0(**अभ्यर्थी का नाम**)..... उत्तर प्रदेश के गाँव/शहर ..... तहसील .....जिला ..... के मूल निवासी हैं तथा श्री/कु0 (**अभ्यर्थी का नाम**) .....अपने पिता/माता परपूर्णतया आश्रित हैं।उक्तपतेपर श्री/कु0 (**अभ्यर्थी का नाम**) ..... के **माता/पिता सामान्यतः निवास करते**हैं।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट
पूरानाम
पदनाम
मुहर (जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिलामजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिलामजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा0आ0 सं0–157/तीन –2003–77(II)/83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किया जायेगा।

नोट–**प्रमाणपत्र–3 अभ्यर्थी के माता/पिता का बना होना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी विद्यालय सेउत्तीर्ण की हैपरन्तु उनके माता/पिता उत्तर प्रदेश के मूल/स्थाई निवासी हैं परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।**

CERTIFICATE – 4 (प्रमाण पत्र–4)(Sub-Category UPFF)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूपसेविकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतन्त्रता संग्रामसेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) .....
निवासी ग्राम .....तहसील ..... नगर .....
जिला ..... उत्तर प्रदेश लोकसेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कु0(आश्रित अभ्यथी ंका नाम) .....
पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रितहैं।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
पूरानाम एवंपदनाम
मुहर (जिला मजिस्ट्रेट की सील)

Note: Proforma of certificate may be changed according to latest Govt. order.